(380)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर, दिनांक : - 4 APR 2013

आदेश

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 63 / 2013 दिनांक 20.03.2013 के अनुक्रम में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों मे सार्वजनिक, चैरीटेबल एंव सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2011 को जारी नीति की निरन्तरता एवं विभागीय आदेश दिनांक 27.08.2012 के अधिक्रमण में रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं

(1) नगर निगम, नगर परिषद एव नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भूमि का सार्वजनिक, चैरीटेबल अथवा सामाजिक सस्थाओं को आरक्षित दर / डी.एल.सी. दर पर आवंटन निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

i- नगर निगम / नगर परिषद / पालिका की सीमा से बाहर (जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण / न्यासों से सम्बन्धित शहरों में निकाय क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्र तथा मास्टर प्लान का पैरीफेरी क्षेत्र) में दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी भूमि आवंटन नीति तथा समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार भूमि आवंटित की जावेगी।

सभी स्थानीय निकायो के मास्टर प्लान / ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो चुके है। इनके मास्टर प्लान में अंकित परिधीय क्षेत्र की सिवायचक भूमियों का हस्तान्तरण स्थानीय निकायो को किया जा रहा है। अतः परिधीय क्षेत्र में स्थित भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों द्वारा दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी नीति के अनुरूप किया जा सकेगा।

ii- नगर निगम / परिषद / पालिका क्षेत्र में :-

a. राजकीय विभागों व संस्थाओं को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जावेगी।

b. निजी संस्थाओं को रिजर्व प्राईस पर (जहाँ आरक्षित दर नहीं है वहाँ डी.एल.सी. दर पर) आवंटन नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

c. निजी संस्थाओं को रिजर्व प्राईस से कम दर पर आवंटन का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया जावेगा। (जहाँ रिजर्व प्राईस नहीं है वहाँ डी.एल.सी से कम दर पर आवंटन हेतु भी निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया जावेगा)।

iii. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निकाय क्षेत्र व निकाय क्षेत्र के बाहर भी अपनी योजनाऐं विकसित की जाती है। इन योजनाओं मे शैक्षणिक, सामाजिक एवं चैरीटेबल संस्थाओं को आवंटन संस्थानिक आरक्षित दर+15 प्रतिशत नगरीय निकायों को देय राशि एवं उपरी व्यय पर किया जाता है। मंत्रिमण्डल के द्वारा दिनांक 13.08.2012 को जारी आज्ञा के पश्चात् विभाग द्वारा नगरीय

Gopi: Hemendra/UDH/Orders/2013

निकायों के साथ–साथ राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर पर भी आवंटन पर रोक लगा दी गयी थी। राजस्थान आवासन मण्डल को विशेष श्रेणी में मानते हुए नगरीय विकास विभाग द्वारा तय किया जावेगा कि किस सीमा तक उनके स्तर पर भूमि आवंटन की जावे अथवा किस सीमा तक विभाग स्तर पर नीति दिनांक 19.04.2011 के पैरा 3 के अनुसार आवंटन किया जावेगा।

(2) विभागीय नीति दिनांक 19.04.2011 में समाजों के छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान नही होने के कारण विभिन्न समाजो द्वारा समय–समय पर छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन के आवेदन विभाग में किये जाकर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि समाजों के छात्रावासों के लिए 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी। आवंटन की क्षेत्राधिकारिता निम्नानुसार होगी :–

(i) नगर निगम, परिषद एवं पालिका क्षेत्र में समाजों के छात्रावास निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर तक की भूमि नगरीय विकास विभाग द्वारा आरक्षित/डी.एल.सी. दर पर आवंटन की जावेगी। यदि आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर से कम दर पर आवंटन करने का अनुरोध किया जाता है तो ऐसे प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाकर निर्णय कराया जायेगा।

(ii) समाज के छात्रावासों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/पालिका की सीमा से बाहर (जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/न्यासों से सम्बन्धित शहरों में निकाय क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्र तथा मास्टर प्लान का पैरीफेरी क्षेत्र) की भूमि के संबंध में दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी भूमि आवंटन नीति के पैरा–3 के अनुसार 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावेगी। इसी प्रकार स्थानीय निकायो के मास्टर प्लान में अंकित परिधीय क्षेत्र में स्थानान्तरित की गयी सिवायचक भूमियों में से 2000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन समाजों के छात्रावासों हेतु दिनांक 19.04.2011 को जारी की गयी नीति के अनुरूप किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

45

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को आज्ञा क्रमांक 63 / 2013 के क्रम में।
6. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग / राजस्व विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल राजस्थान।
8. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. शासन उप सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश समस्त संबंधित को प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

4/4/2013
(एन0एल0मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(165)

Goyal Hemendra/UDH/Order/2013